·3·22 पत्रावली पूर्व से नियत की गई थी। पर आज
पेश उभ. वकील वादी व फर्म वादी उप. नहीं है। वकील
वादी व फर्म वादी को तीन बार आवाज लगवाई गई
बावजूद इन्तजार के जवाब से उप. नहीं है अतः वादी
का वाद अदम हाजरी अदम पैरवी मे खारिज किया
जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील
तकमील के दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2024.04.23 14:56:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner